Witness No. ....PW-01........for...........अभियोजन बयान...........Deposition taken

the......22-08-2026...day of शनिवार.Witness's apparent age 39 वर्ष.........

States on affirmation ....शपथपूर्वक......my name is..... पवन कुमार सिन्हा

F/H of ... श्री जयराम सिन्हा Occupation.... आर एच ओ.

Address..बजरंगपुर नवागांव वार्ड नं०-01, थाना चिखली, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)

समय–04.00 बजे

राज्य द्वारा ए०डी०पी०ओ०

1– मैं न्यायालय उपस्थित आरोपी राजेन्द्र सिन्हा को जानता पहचानता हूॅं। आरोपी मेरा साला है। मृतक कृष्णा सिन्हा मेरे ससुर थे।

2– वर्ष 2024 में आरोपी राजेन्द्र सिन्हा, मेरे ससुर कृष्णा सिन्हा तथा बड़ा ससुर सीताराम सिन्हा अर्जुंदा बालोद लड़की देखने के लिए जहां से वापस आ रहे थे तब फरहद चौक डोंगांव रोड पर उन लोगों का दुर्घटना हो गया था जिसमें मेरा ससुर कृष्णा राम सिन्हा के सिर में चोंट आई थी जिनका शासकीय मेडिकल कॉलेज पेन्ड्री में उपचार हुआ था। बात में रिफर कर सुपेला स्पर्श अस्पताल भिलाई में ईलाज के दौरान मस्तिष्क का ऑपरेशन हुआ था इसके पश्चात उपचार के दौरान दुर्घटना के 15–16 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसके अतिरिक्त में दुर्घटना की जानकारी नहीं रखता हूॅं।

3– मेरे ससुर कृष्णा सिन्हा की मृत्यु हो जाने पर पुलिस कार्यवाही की गई थी। उनके शव का पंचनामा कार्यवाही पुलिस ने मेरे समक्ष किया था। नोटिस प्र०पी०–01, तथा शव पंचनामा प्र०पी०–02, शव सुपुर्दनामा प्र०पी०–03 के अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। मैने अपनी जानकारी की बात पुलिस को बतायी है।

टीप– इसी स्तर पर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने साक्षी सूचक प्रश्न पूछे जाने की अनुमति दिए जाने का निवेदन किया। प्रकरण का अवलोकन किया गया, पश्चात् जिला लोक अभियोजन अधिकारी को साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।4–

4– यह कहना गलत है कि मैने पुलिस को यह बताया था कि जिस मोटर सायकल से आरोपी, मृतक तथा बड़े पिता वापस आ रहे थे उसका नंबर सीजी08 ए जे 9515 है। यह कहना गलत है कि मैने पुलिस को यह बताया था कि आरोपी के द्वारा मोटर सायकल नंबर सीजी08 ए जे 9515 को दुर्घटना के समय लापरवाही पूर्वक चलाते हुए गड्ढे में घूसा दिया था जिस कारण मोटर सायकल से गिरने पर मृतक कृष्णा सिन्हा के सिर में चोट आई थी। यह कहना गलत है कि आरोपी मेरा साला है एवं पारिवारिक संबंध है इस कारण मैं दुर्घटना के संबंध में न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा हूॅं। यह कहना गलत है कि मैने पुलिस बयान प्र०पी०–04 के अ से अ भाग दिनांक– 28–10–24 ––––––मृत्यु हो गई " तक का कथन पुलिस को दिया था। "

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री गेमन लाल साहू अधिवक्ता वास्ते आरोपी :–

5– यह कहना सही है कि दुर्घटना के संबंध में मुझे व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। यह कहना सही है कि मैं दुर्घटना के समय अपने घर पर था इस कारण मैं नहीं बता सकता कि

किस वाहन से दुर्घटना घटित हुई । यह कहना भी सही है कि दुर्घटना किस कारण से घटित हुई यह भी मैं नहीं बता सकता । यह कहना सही है कि मुझे कथित दुर्घटना से संबंध मोटर सायकल के नंबर की जानकारी नहीं है । यह कहना भी सही है दुर्घटना के संबंध में सुनी सुनायी बात बता रहा हूॅं । यह कहना सही है कि मेरा पुलिस द्वारा कोई बयान नहीं लिया गया था । यह कहना सही है कि प्र०पी० 01 से 03 तक का हस्ताक्षर पुलिस वालों के कहने पर किया है । यह कहना सही है कि हस्ताक्षर किस संबंध में कराये थे इसकी जानकारी नहीं है ।

प्रति परीक्षण समाप्त ।

समय–04.20 बजे

वाचित, सत्य स्वीकृत।

सही / –
(निलेश जगदल्ला)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
राजनांदगांव (छ.ग.)

मेरे निर्देशानुसार टंकित

सही / –
(निलेश जगदल्ला)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
राजनांदगांव (छ.ग.)

सही / –
गवाह के हस्ताक्षर